


फर्द अहकाम

न्यायालय उपरवठस आधिकारी जमवालामगद, जयपुर
बनाम सरकार वगैरे
 मुकदमा संख्या / वर्ष : 139 / 2019

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
----------	---------------------------	----------------------	-------------

16/09/22

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष वकील उभय वकील उभय पक्षों को सुनने व अपीलियों को के जवाब तथा चैरोकार सरकार के जवाब एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर हम उक्त जर्नल पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 तथा धारा 136 एल.आर. एक्ट को स्वीकार करना उचित समझे हैं। अतः जर्नी का ज्ञापन गुणावगुणों के आधार पर स्वीकार किया जाता है। तथा पत्रावली के अवलोकन करने पर उनवान में क्रमांक 1 की जगह राज. सरकार को क्रमांक 6 पर प्रतिस्थापित किया जाता है एवं क्रमांक 2 शंकरलाल पुत्र भोमराज को क्रमांक 1 पर प्रतिस्थापित किया जाता है। इसी क्रम में क्रमांक 3 मोहनलाल पुत्र गोपीराम को क्रमांक 2 पर, क्रमांक 4 लीलाराम पुत्र भोमराज को क्रमांक 3 पर, क्रमांक 5 दौटूराम पुत्र भोमराज को क्रमांक 4 पर तथा क्रमांक 6 हरि पुत्र गोपाल को क्रमांक 5 पर प्रतिस्थापित किया जाता है। उक्त निर्णय प्रत्येक ले लिखा जाकर शांति मिल किया जाता है। पत्रावली केवल शुगर होकर नष्ट ले कम हो, बाद इति होकर शांति मिल


 उपरवठस आधिकारी
 जमवालामगद